प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

प्र.सं. 40/2021 अन्तर्गत 251ए आरटीएक्ट
ग्राम पंचायत सावंतसर जरिए सरपंच बनाम कौशल्या देवी आदि
जीसीएमएस : 2021/879

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
04.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. सावंतसर में पेश हुई। सरपंच ग्राम पंचायत ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रकरण में रास्ता देने हेतु सहमत है रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा 32 पीएस से रामसरा कुम्हारान जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक दुलसरासर बारानी के मु.नं. 16 प.नं. 257/313 कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 1–1 बीस्वा व चक रामसरा कुम्हारान के मु.नं. 32 प.नं. 256/313 कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि यदि रास्ता मन्जूर किया जाता हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं हैं। इसी प्रकरण से संबंधित पूर्व में प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी थी। जो कि तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/2021/981 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली के शामिल मिसल की गयी हैं। मुताबिक रिपोर्ट चक रामसरा कुम्हारान के मु.नं. 32 कि.नं. 1/0.013, 10/0.012, 11/0.013, 20/0.012, 21/0.013 कुल 0.063है. रकबा व दुलसरासर बारानी के मु.नं. 16 कि.नं. 5/0.012, 6/0.013, 15/0.012, 16/0.013, 25/0.013 कुल 0.063है. रकबे में मौके पर रास्ता चल रहा हैं। जो पिछले लगभग 60–70 वर्षों से चल रहा हैं। भूमि के खातेदारान सदामत से चल रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अमल दरामद करने में सहमति जताई। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है व इस रास्ते के एवज में कोई प्रतिफल लेना नहीं चाहते हैं। आमजन को एक गांव से दूसरे गांव व खतों में आवागमन हेतु उक्त रास्ता निकटतम दूरी पर हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। रास्ता हेतु बिना प्रतिफल भूमि देने बावत अप्रार्थीगण के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत शपथ पत्र भी रिपोर्ट तहसीलदार के साथ प्राप्त हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की भूमि में से चक रामसरा कुम्हारान के मु.नं. 32 कि.नं. 1/0.013, 10/0.012, 11/0.013, 20/0.012, 21/0.013 कुल 0.063है. रकबा व [illegible] बारानी के मु.नं. 16 कि.नं. 5/0.012, 6/0.013, 15/[illegible] 0.013, 25/0.013 कुल 0.063है. गैर मु. रास्ता [illegible] बिना किसी प्रतिफल के स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। नि[illegible] की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.01.2022 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:41:36 IST
Reason: SelfAttested